# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 01/2013

**बउनवान**

चन्द्रप्रकाश आत्मज मांगीलाल जाति धाकड़ निवासी शिवाजी चौक, सब्जीमण्डी अन्ता जिला बारां

(प्रार्थी)

**बनाम**

1. मनीष आत्मज छीत्या जाति धाकड़ निवासी बरखेड़ा
2. कैलाशबाई बेवा छीत्या जाति धाकड़ निवासी बरखेड़ा
3. भगवती पुत्री छीत्या पत्नि रामस्वरूप धाकड़ निवासी बम्बूलियाकलां
4. कलावती पुत्री छीत्या पत्नि महावीर जाति धाकड़ निवासी सिन्धपुरी तह0 अन्ता
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अन्ता

(अप्रार्थीगण)

न्यायालय जिला कलेक्टर

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम, 1956**

उपस्थिति :–1. श्री रमेश चन्द गोयल, अभिभाषक (प्रार्थी)

2. श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

**निर्णय दिनांक– 21.03.2022**

प्रकरण प्रार्थी द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, बारां में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर सेटलमेन्ट पूर्व खसरा नंबर 259 से कायम खसरा नंबर 363 का रकबा 0.43 है. कम दर्ज करके प्रार्थी के पास स्थित गत खसरा नंबर 264 हाल खसरा नंबर 364 व 365 में से उक्त रकबा कम कर प्रार्थी के खसरा नंबर 363 का रकबा 2.44 है. दर्ज करने बाबत पेश किया। उक्त प्रकरण में दिनांक 17.02.1999 को न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा आदेश पारित कर ग्राम बरखेड़ा की आराजी खसरा नंबर 364 रकबा 0.94 है. में से 0.34 है. भूमि प्रार्थी के खाते दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस आदेश की अपील माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा संभाग, कोटा में पेश की गई जो प्रकरण संख्या 129/2012/अपील/एल0आर0एक्ट/बारां बउनवान मनीष वगैरा बनाम चन्द्रप्रकाश वगैरा दर्ज की जाकर उसमें पारित निर्णय दिनांक 08.01.2013 से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 357/99 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 17.02.1999 अपास्त किया जाकर "निर्णय में उल्लेखित तथ्यों के परिपेक्ष्य में [illegible] खातेदार एवं पक्षकारान को सुनवाई तथा पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर [illegible] विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित करें" इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित [illegible] में प्राप्त होने पर [illegible] दर्ज किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.04.20 12:05:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा संभाग, कोटा के निर्णय दिनांक 08.01.2013 की पालना में ग्राम बरखेड़ा की आराजी हाल खसरा नंबर 364 व 365 के खातेदारान की सुनवाई की गई। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब इस आशय का पेश हुआ कि साबिक खसरा नंबर 264 के नवीन कायम खसरा नंबर 364 रकबा 0.94 है. एवं खसरा नंबर 365

रकबा 1.00 है. में से खसरा नंबर 364 रकबा 0.94 है. की आराजी अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 4 के खाते दर्ज है तथा खसरा नंबर 365 रकबा 1.00 है. वर्तमान में मोहनलाल, रामकरण, राधेश्याम, राजेन्द्र प्रसाद, कृष्णमुरारी, अशोक कुमार पुत्रगण नन्दलाल जाति धाकड़ निवासी बरखेड़ा के खाते दर्ज है। इसमें से कृष्णमुरारी के 1/6 हिस्से पर क्रेता राजेन्द्र प्रसाद पुत्र नन्दलाल जाति धाकड़ का नाम इन्तकाल नंबर 335 दिनांक 20.06.2012 से दर्ज हुआ है। इन सब को भी प्रकरण में सुना जाना आवश्यक है क्योंकि पूर्व में जो खसरा नंबर 264 की 10 बीघा भूमि थी वह नन्दकिशोर, गिरधारी, गोविन्दा आत्मज कान्हा हि. 1/3, नन्दलाल, छीत्या आत्मज जगन्नाथ हि. 1/3 व प्रभूलाल आत्मज लक्ष्मीनारायण हि. 1/3 कौम धाकड़ के संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। मृतक छीत्या के वारिसान अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 तथा नन्दलाल के वारिसान मोहनलाल, रामकरण वगैरह हैं। खसरा नंबर 264 जिसका रकबा 10 बीघा थाा उसमें से 5 बीघा अर्थात् 0.80 है. अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के खाते दर्ज होनी चाहिये थी। परन्तु प्रार्थी को कमी रकबे की पूर्ति हेतु आदेश दिनांक 17.02.99 से दी गई 0.34 है. के पश्चात अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के खाते मात्र 0.60 है. भूमि शेष रही जबकि खातेदार नन्दलाल के वारिसान मोहनलाल, रामकरण वगैरह के खाते हाल खसरा नंबर 365 की 1.00 है. भूमि स्थित है। इस प्रकार अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के खाते से कम की गई भूमि 0.34 है. मे से 0.20 है. पुनः अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के खाते दर्ज की जानी चाहिये तथा मोहनलाल, रामकरण वगैरह के खाते से 0.20 है. भूमि कम की जाकर प्रार्थी के कमी रकबे की पूर्ति किये जाने के आदेश फरमावें।

जवाब प्राप्त होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। दौराने बहस अभिभाषक उभयपक्ष ने लिखित बहस पूर्व से पत्रावली में संलग्न होना तथा उसी अनुसार निर्णय पारित किये जाने का कथन किया।

न्यायालय जिला कलक्टर बारां

लिखित बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने दिनांक 28.02.2019 को इस आशय की पेश की है कि पूर्व में खसरा नंबर 264 की 10 बीघा भूमि नन्दकिशोर, गिरधारी, गोविन्दा आत्मज कान्हा हि. 1/3, नन्दलाल, छीत्या आत्मज जगन्नाथ हि. 1/3 व प्रभूलाल आत्मज लक्ष्मीनारायण हि. 1/3 कौम धाकड़ के संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। मृतक छीत्या के वारिसान अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 तथा नन्दलाल के वारिसान मोहनलाल, रामकरण, राधेश्याम, राजेन्द्र प्रसाद, कृष्णमुरारी, अशोक कुमार हैं। खसरा नंबर 264 के हाल खसरा नंबर 364 रकबा 0.94 है. एवं खसरा नंबर 365 रकबा 1.00 है. कायम हुए। जिनमें से खसरा नंबर 364 रकबा 0.94 है. अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के खाते तथा खसरा नंबर 365 रकबा 1.00 है. मोहनलाल, रामकरण, राधेश्याम, राजेन्द्र प्रसाद, कृष्णमुरारी, अशोक कुमार के खाते दर्ज हुई। कुल भूमि 10 बीघा में से 5–5 बीघा अर्थात् 0.80 है.–0.80 है. भूमि दर्ज होनी चाहिये थी। अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 की 0.94 है. भूमि में से प्रार्थी के कमी रकबे की पूर्ति हेतु दी गई 0.34 है. भूमि [illegible] उनके खाते में 0.60 है. भूमि ही शेष रहती है। अतः मोहनलाल, रामकरण, राधेश्याम, राजेन्द्र प्रसाद, कृष्णमुरारी, अशोक कुमार के खाते से 0.20 है. भूमि कम की जाकर [illegible] 1 ता 4 के रकबे की पूर्ति किये जाने के आदेश प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.04.20 12:05:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 की लिखित बहस का जवाब अभिभाषक प्रार्थी ने इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की भूमि साबिक खसरा नंबर 259 रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा अर्थात् 2.44 है. के स्थान पर प्रार्थी के हाल खसरा नंबर 363 रकबा 2.01 है. कायम किया तथा साबिक खसरा नंबर 264 रकबा 10 बीघा के हाल खसरा नंबर 364 रकबा 0.94 है. व 365 रकबा 1.00 है. कायम कर दिये जो कुल रकबे 1.60 है. के स्थान पर 1.94 है. अर्थात् 0.34 है. ज्यादा कायम कर दिया। आदेश दिनांक 17.02.1999 से न्यायालय ने 0.34 है. भूमि प्रार्थी के खाते दर्ज करने

के आदेश प्रदान किये। अप्रार्थी कम 1 ता 4 द्वारा जवाब में मुख्य आपत्ति यह है कि 0.34 है. भूमि खसरा नंबर 364 रकबा 0.94 है. में से कम की है जबकि दूसरे खसरा नंबर 365 रकबा 1.00 है. में से 0.20 है. भूमि कम की जानी आवश्यक थी। प्रार्थी एवं अप्रार्थी कम 1 ता 4 की भूमि आपस में लगी हुयी है तथा खसरा नंबर 365 की भूमि इससे दूर है तथा प्रार्थी के खाते से लगी हुई नहीं है। न्यायालय के आदेश दिनांक 17.02.1999 से की गयी प्रार्थी के कमी रकबे 0.34 है. की पूर्ति सही की है। अप्रार्थी कम 1 ता 4 को अपने कमी रकबे की पूर्ति खसरा नंबर 365 रकबा 1.00 है. में से कराने हेतु पृथक से मोहनलाल, रामकरण, राधेश्याम, राजेन्द्र प्रसाद, कृष्णमुरारी, अशोक कुमार के विरूद्ध दावा करना चाहिये। अतः इसी अनुरूप आदेश फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। यह सही है कि प्रार्थी के खाते में सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा नंबर 259 रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा भूमि थी जिसका बाद सेटलमेन्ट खसरा नंबर 363 रकबा 2.01 है. कायम किया गया। जो गत रकबे से 0.43 है. कम है। वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते खसरा नंबर 364 रकबा 0.94 है. व 365 रकबा 1.00 है. दर्ज है जो साबिक खसरा नंबर 264 रकबा 10 बीघा से कायम किये गये हैं। अतः इनका रकबा 0.34 है. ज्यादा कायम किया गया जो न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के निर्णय दिनांक 17.02.1999 से चन्द्रप्रकाश के खाते में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया जिसकी अपील न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, कोटा में हुई जिसमे उक्त निर्णय निरस्त कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने का आदेश दिया गया। वर्तमान में खसरा नंबर 364 रकबा 0.94 है. अप्रार्थी कम 1 ता 4 के खाते दर्ज है तथा खसरा नंबर 365 रकबा 1.00 है. वर्तमान में मोहनलाल, रामकरण, राधेश्याम, राजेन्द्र प्रसाद, कृष्णमुरारी, अशोक कुमार पुत्रगण नन्दलाल जाति धाकड़ निवासी बरखेड़ा के खाते दर्ज है। हालांकि खसरा नंबर 364 प्रार्थी के खाते में दर्ज खसरा नंबर 363 के नजदीक है परन्तु इससे यह साबित नहीं होता है कि 0.34 है. भूमि खसरा नंबर 364 में अधिक दर्ज हुई है। धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानोनुसार लिपिकीय त्रुटि का संशोधन ही किया जा सकता है परन्तु पक्षकारों के मध्य उक्त विवाद का निस्तारण नियमित वाद में ही संभव है। ऐसी स्थिति में हम हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थी सक्षम न्यायालय में नियमित वाद दायर कर वांछित अनुतोष प्राप्त करे।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.04.20 12:05:29 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज.)